

छात्रवृत्ति से संबंधित अनिवार्य सूचना

दिनांक 13.12.2021

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है एवं जिनके आधार वेरिफिकेशन/केवाई सी अपडेट से संबंधित त्रुटि है, कार्यालय द्वारा उन सभी ऑनलाइन आवेदन फार्मस् को अनलॉक कर दिया गया है, एवं संबंधित विद्यार्थियों को अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आधार वेरिफिकेशन से संबंधित त्रुटि में सुधार कर/केवाई सी अपडेट कर, अपने ऑनलाइन आवेदन को लॉक कर नया प्रिंटआउट निकालकर आधारकार्ड की फोटोकापी के साथ निर्धारित स्थल (प्राणीशास्त्र विभाग) पर दिनांक 15.12.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर शासन को नहीं भेजी जा सकेगी, जिसकी जवाबदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी।

यदि आपके ऑनलाइन छात्रवृत्ति फार्म के नाम, जन्मतिथि का आधार कार्ड से मिलान करने पर कोई त्रुटि नहीं है और केवासी पेन्डिंग दिखा रहा है तो उसके लिए आवेदन को अनलॉक कराने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से मिलने/पूछने की जरूरत है, वो आवेदन फार्म प्रपोजल बनाते समय अपने आप केवाईसी सक्सेसफुल हो जायेगा।

नोट :- 1) त्रुटि जो संभावित हो सकता है – ऑनलाइन छात्रवृत्ति फार्म में प्रिंट स्टूडेंट नेम और जन्मतिथि को अपने आधार कार्ड से मिलान करने पर पाई गई त्रुटि।

2) यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फार्म एवं समस्त दस्तावेज कार्यालय में जमा कर दिया है एवं आपके फार्म में आधार वेरिफिकेशन/केवाई सी अपडेट से संबंधित त्रुटि है तो भी आपको अपना आवेदन फार्म अद्यतन कर अपने ऑनलाइन आवेदन को लॉक कर नया प्रिंटआउट निकालकर आधारकार्ड की फोटोकापी के साथ प्राणीशास्त्र विभाग में प्रतिमा चौहान के पास पर दिनांक 15.12.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर शासन को नहीं भेजी जा सकेगी, जिसकी जवाबदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी।

➔ सभी विद्यार्थी सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने नेशनल स्कालरशिप/अन्य कोई छात्रवृत्ति आवेदन फार्म नहीं किया है, यदि किसी विद्यार्थी ने गलती से आवेदन कर भी दिया है तो वे एक एप्लीकेशन देकर एक छात्रवृत्ति फार्म को रिजेक्ट करा लें क्योंकि शासन की नवीन गाइडलाइन के अनुसार एक विद्यार्थी को केवल एक ही छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है।

प्राचार्य